मकान निर्माण हेतु रियायती दरों पर ऋण

306. **श्री अजीत जोगी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने मकान निर्माण हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में क्या प्रबंध किए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान आवास ऋण के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) जहां तक शहरी आवास का संबंध है, केन्द्रीय सरकार मकान-निर्माण के लिए ऋण नहीं देती है। तथापि आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) जो पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवास योजनाएं लाने के लिए विभिन्न एजेंसियों जैसे राज्य आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, कोआपरेटिव, गैर-सरकारी संगठनों आदि को रियायती ब्याज दरों पर ऋण देता है। आवास योजनाओं के लिए हुडको का 55% वार्षिक आवंटन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वर्ग के लिए निर्धारित है।

(ख) हुडको द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात 1994-95 से 1996-97 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के लिए संस्वीकृत राज्य-वार ऋण का विवरण अनुपत्र में दिया गया है। **(देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 12)**

(ग) हुडको ऋण की संस्वीकृति के संबंध में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

International Conference on Urban Housing

307. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a three day International Conference on Urban Housing is scheduled to be held in Goa from 2nd October, 1997; and

(b) if so, what is the objective of this conference?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) The Conference is being organised with the objective of exchanging and learning from each other about problems and issues and share experiences in planning, designing and management of urban habitat.

राज्यों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता

308. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उपर्युक्त सहायता से वास्तव में कितने राज्यों के नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) 1996-97 और 1997-98 के वर्षों के लिए गुजरात को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के वर्षों के दौरान किन-किन नगरपालिकाओं को ऐसी वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त हुआ था?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) और (ख) 1993-94 में आरम्भ किये गये केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 24 राज्यों में 227 पेय जल आपूर्ति की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 76.49 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान गुजरात राज्य को 70 लाख रुपये जारी किये गये। 1997-98 के दौरान अब तक उस राज्य को कोई धन जारी नहीं किया गया है क्योंकि गुजरात, पहले ही जारी किए जा चुके केन्द्रीय अंश के लिए अपना समान अंश जारी करने में असफल रहा है।

(घ) गुजरात में 5.08 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर अब तक 8 स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं। ब्यौरे विवरण पर है।

विवरण

गुजरात में स्वीकृत आठ स्कीमों के ब्यौरे

राज्यः गुजरात

स्वीकृत परियोजनाएं — लाख रुपये

क्र० सं०	कस्बे का नाम	स्वीकृति माह/वर्ष	परियोजना लागत
1.	धरमपुर	मार्च, 94	54.00
2.	वंटवा	"	38.50
3.	धोल	"	132.60
4.	ओखा पोर्ट	"	14.60
5.	जोदिया	"	110.25
6.	मेन्दरदा	"	49.00
7.	बरवाला	जनवरी, 96	90.94
8.	सूरजकराडी	"	18.20
	योग		508.09

मध्य प्रदेश में छोटे और मध्यम नगरों का विकास

309. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में मंझोले और छोटे नगरों की संख्या कितनी है और उनमें कितनी जनसंख्या निवास करती है;

(ख) 1996-97 के दौरान ऐसे शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए और वहां रह रही आबादी को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था और इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार वास्तविक रूप से कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि मांगी गयी थी और यह राज्य के किन-किन नगरों के लिये मांगी गयी थी; और

(घ) मध्य प्रदेश में मंझोले और छोटे नगरों के विकास के लिये दी गयी वित्तीय सहायता और उनके विकास तथा वहां रोजगार के अवसरों में सुधार हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 108.75 लाख आबादी वाले 428 छोटे तथा मझौले शहर हैं।

(ख) छोटे तथा मझौले शहरों के समन्वित विकास की योजना के तहत 1997 के दौरान राज्यवार केन्द्रीय अनुदान का नियतन और इस प्रयोजनार्थ वास्तव में जारी राशि के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मध्य प्रदेश में 72 शहरों के लिए अब तक 2118.21 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। दिसम्बर, 1996 तक राज्य सरकार ने आई डी एस एम टी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर 2858.27 लाख रुपये के कुल व्यय की सूचना दी है। जारी केन्द्रीय सहायता और सूचित व्यय के शहर-वार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)। आई डी एस एम टी स्कीम के संशोधित दिशानिर्देशों की खास-खास बातें विवरण -III में दी गई हैं।

विवरण-I

1996-97 के दौरान आई डी एस एम टी स्कीम के तहत राज्यवार अनुदान नियतन और जारी राशि

क्र० सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय नियतन 1996-97	जारी राशि (रुपये लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	225.00	185.00*
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.00	—
3.	असम	60.00	60.00
4.	बिहार	120.00	75.00
5.	गोवा	16.00	—
6.	गुजरात	135.00	110.00*
7.	हरियाणा	50.00	10.00
8.	हिमाचल प्रदेश	16.00	15.00
9.	जम्मू तथा कश्मीर	71.00	55.00
10.	कर्नाटक	150.00	183.00*
11.	केरल	30.00	25.00
12.	मध्य प्रदेश	200.00	100.10